यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा के माह 05/2014 से 05/2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री गौरव पंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.06.2017 से 16.06.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री राजबहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.05.2017 से 06.06.2014 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षम में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2011 से माह 04/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2014 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा जनपद के अंतर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी, बिमारी अनुसूचित जाति / जनजाति योजनाओं का संचालन एवं अनुश्रवण किया जाता है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	NIL	NIL	140.32	121.46	18.86	6587.60	5229.39	1358.21
2015-16	NIL	1335.45	140.91	129.83	11.08	4779.99	6050.69	64.75
2016-17	NIL	NIL	136.15	125.55	10.60	6875.74	6351.38	524.36

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

योजना का नाम	2015-16			2016-17		
	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय
अन्य पिछडी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	-	27.18	26.73	-	68.29	5.17
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	-	496.44	496.44	-	713.03	713.036
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना	-	8.38	8.38	-	11.83	11.83
पारिवारिक लाभ योजना	-	57.80	57.80	-	24.20	24.20
अनु. जाति के 9-10 कक्षा की छात्रवृत्ति	-	30.01	30.01	-	263.14	200.25
अनु. जनजाति के 9-10 कक्षा की छात्रवृत्ति	-	16.11	16.11	-	-	-

(ii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई ग्राहक विभाग से राशि प्राप्त करता है तथा 'बी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव, समाज कल्याण 2. निदेशक, समाज कल्याण 3. जिला समाज कल्याण अधिकारी

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 से 03/17 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया शादी एवं बीमारी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देवी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि जिला समाज कल्याण अधिकारी,

अल्मोड़ा का विश्लेषण किया गया था। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तरः 01. अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 150.80 लाख विगत 2 वर्ष से भी अधिक समय से बैक में अवरूद्व रखने तथा निर्माण न किये जाने वाले 05 कार्यो से सम्बन्धित धनराशि रु0 52.80 लाख विगत 02 वर्षो से भी अधिक समय से जनपद स्तर पर अवरुद्ध रखा जाना।

अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद के विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु शासनादेश संख्याः 646/XVII-4/2015-01 (28)/2015 दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा धनराशि रु0 783.44 लाख का आवंटन 74 कार्यो के निर्माण के लिए प्रदान किया गया था। इन कार्यो में बारात घर, सी0 सी0 मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक भवन आदि कार्य शामिल थे। शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त विवरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी की होगी।

शासनादेश सख्यॉ 125 (02/2009) के दिशानिर्देशों के बिन्दु 07 के प्रस्तर 05 के अनुसार स्पष्ट प्रावधान है कि कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान की जानी है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैक में नही रखी जायेगी।

शासनादेश संख्या 1210 दिनांक 18.10.2016 के अनुसार चॅूकि अवस्थापना मद में निर्माण कार्यो को उसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये जाने का प्रावधान है जिस वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी हो। यदि निर्माण कार्य उस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ नहीं किया जा सका तो योजना/स्वीकृत धनराशि स्वतः ही समाप्त हो जाती है।

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा नवम्बर 2012 में जारी दिशानिर्देश के प्रस्तर 6 के उप प्रस्तर 1 से 4 के प्रावधानों के अनुसार याजनान्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राप्त समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेंगें तथा मानकों के अनुरुप प्रस्तावों की सूची तैयार कर मूल प्रस्ताव सूची सहित निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित करेंगें। निदेशक, समाज कल्याण जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का अपने स्तर पर भी परीक्षण करेंगे तथा मानकों के अनुरुप प्रस्तावों की जनपदवार सूची तैयार कर मूल प्रस्तावों पर अपनी संस्तुति अंकित करते हुए सूची सहित शासन को प्रेषित करेंगे। तद्नुसार शासन द्वारा कार्यो की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा के अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में स्वीकृत कार्यो के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत 73 कार्यो में से मात्र 36 कार्य ही पूर्ण हो पाये है। जबकि 22 कार्य प्रगति पर है एवं 14 कार्य ऐसे थे जिनका निर्माण कार्य प्रारभ्भ ही नही किया गया था। आगे जाचॅ में यह पाया गया कि सम्प्रेक्षा अवधि (05/2017) तक

वर्ष 2014–15 में स्वीकृत धनराशि रु0 172.45 लाख विगत 2 वर्ष से भी अधिक समय से बैक में अवरूद्व पडी है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रगति प्रतिवेदन में 03 प्रगति पर तथा 02 अनारम्भ दर्शाये गये कार्यो से सम्बन्धित धनराशि, जिनका निर्माण कार्य वास्तव में प्रारम्भ ही नहीं किया गया था तथा भविष्य में भी इनका निर्माण नहीं किया जाना था, से सम्बन्धित धनराशि रु0 52.80 लाख विगत 02 वर्ष से भी अधिक अवधि से कार्यालय के नाम से खोले गये बैंक खाते में अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखा गया था। इसके अतिरिक्त स्वीकृत कार्यो में 14 निर्माण कार्य अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में आच्छादित न होने के कारण निर्माण कार्य न होने की दशा में सम्बन्धित धनराशि रु0 215.01 लाख जनपद स्तर पर विगत 02 वर्षो तक अवरुद्ध रखते हुए मार्च 2017 में शासन को समर्पित किया गया था। अनुसूचित जाति उपयोजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानाों के अनुसार यदि इन 14 योजनाओं का प्रस्ताव निदेशक/शासन को प्रेषित किये जाने के पूर्व ही सभी प्रकार से जॉच की गयी होती तो इतने अधिक धनराशि के 02 वर्ष तक के अवरोधन से बचा जा सकता था। जॉच में यह भी पाया गया कि उपरोक्त धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र भी वर्तमान तक शासन को प्रेषित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि अवरुद्ध धनराशि निर्माण कार्यो के द्वितीय किस्त की धनराशि है तथा भविष्य में कार्यदायी संस्था को दिये जाने हेतु कार्य के विरुद्ध ही धनराशि कोषागार से आहरित की जाएगी। 05 कार्यो से सम्बन्धित धनराशि रु0 52.80 लाख अवरुद्ध रखे जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि सम्बन्धित धनराशि त्रुटिवश वर्तमान तक समर्पित नहीं किया जा सका जिसे शीघ्र ही समर्पित किया जाएगा। निर्माण न किये जाने वाले 14 निर्माण कार्य के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया कि उक्त सभी कार्यो के प्रस्ताव स्थानीय विधायकों द्वारा सीधे शासन को उपलब्ध कराये गये थे, तद्नुसार कार्य स्वीकृत किये गये थे। जनपद स्तर से इन कार्यों के प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये थे।

अतः अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 172.45 लाख विगत 2 वर्ष से भी अधिक समय से बैक में अवरूद्व रखने तथा निर्माण न किये जाने वाले कार्यो से सम्बन्धित धनराशि रु0 52.80 लाख विगत 02 वर्षो से भी अधिक समय से जनपद स्तर पर अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- कार्यालय द्वारा संचालित छात्रावास में खाद्य आपूर्ति में अधिप्राप्ति नियमों का उल्लंघन कर वर्ष 2016-17 में धनराशि रू. 6.20 लाख का व्यय।

उत्तराखण्ड शासन के अधिप्राप्ति नियम 2015 के नियम 12(1) के अनुसार रू. 3.00 लाख से रू. 15.00 लाख तक सामग्री के क्रय में निविदा प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा के दौरान, कार्यालय द्वारा संचालित छात्रावास के खाद्य सामग्री आपूर्ति संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में अम्बेडकर छात्रावास फलसीमा द्वारा बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये धनराशि रू. 6.20 लाख की खाद्य सामग्री का आपूर्ति मै. संगम आजीविका खाद्यान्न सहकारिता से किया गया। जबकि जनपद अल्मोड़ा में जिला केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार एवं उत्तरांचल बहुउद्देशीय खाद्यान्न सहकारिता जैसे भण्डार भी मौजूद है एवं इस भण्डार का दर संगम सहकारिता के दर से कम है।

लेखापरीक्षा से इंगित करने पर कार्यालय द्वारा आपत्ति की पुष्टि करते हुये कहा गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अतः बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये सामग्री की आपूर्ति में वर्ष 2016-17 में रू. 6.20 लाख की अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- अनु. जाति एवं पिछड़ी जाति दशोमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नें वर्ष 2014-15 में 4 शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं को रू. 0.43 लाख का अधिक भुगतान।

भारत सरकार द्वारा दशोमोत्तर कक्षाओं के अध्ययनरत अनु. जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थी की छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो कि शत प्रतिशत केन्द्र पोषित है। उत्तराखण्ड राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा के लेखापरीक्षा के दौरान छात्रवृत्ति संबंधित अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि वर्ष 2014-15 में कार्यालय द्वारा चार शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं को मांग से अधिक भुगतान किया गया जो कि निम्नरूप हैः-

शिक्षण संस्थान	छात्र सं.	कुल मांग की गई राशि	कुल भुगतानित राशि	अधिक भुगतान
राजकीय पोलटेक्निक मल्ला सालम	03	34,770.00	36,500.00	1,730.00
राजकीय पोलटेक्निक दन्या	09	72,600.00	1,02,300.00	29,700.00
राजकीय होटल मैनेजमेन्ट केटरिंग टेक्नोलाजी अल्मोड़ा	03	36,525.00	45,655.00	9,130.00
राजकीय पोलटेक्निक, वाहरिछिना	02	19,100.00	21,800.00	2,700.00
कुल योग				**43,260.00**

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा आपत्ति की पुष्टि करते हुये बताया कि भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

अतः दशोमोत्तर छात्रवृत्ति मद में चार शिक्षण संस्थान के 17 छात्र छात्राओं को रू. 43,260.00 की अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 4- कब्रिस्तानों में चहारदिवारी का निर्माण योजनान्तर्गत धनराशि रु0 274.43 लाख की 02 योजनाओं का निर्माण कार्य के धीमी प्रगति।

निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 19.09.2016 द्वारा कब्रिस्तानों में चहारदिवारी का निर्माण योजनान्तर्गत जनपद के मसीही कब्रिस्तान एवं कर्बला कब्रिस्तान की चहारदिवारी के निर्माण कार्य हेतु क्रमशः रु0 101.16 लाख एवं 173.27 लाख कुल धनराशि रु0 274.43 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी। निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्वाण विभाग, अल्मोडा को नामित किया गया। कार्यालय द्वारा निर्माण से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि का कोषागार से आहरण कर दिनांक 16.01.2017 को कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दिया गया। निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के साथ दिनांक 20.12.2016 को गठित समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार योजना कुल 09 माह में पूर्ण एवं हस्तगत कर दिया जाना था तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि धनराशि उपलब्ध कराने की तिथि को मानी जाएगी।

सम्बन्धित अभिलेखों तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत मार्च 2017 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण धनराशि माह 01/2017 को उपलब्ध हो जाने के बावजूद भी कोई भी धनराशि व्यय नहीं दर्शाया गया था तथा कार्य पूर्ण की तिथि 06/2017 दर्शाया गया है। परन्तु प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त दोनो निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये थे। इस प्रकार से समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य ससमय पूर्ण हो जाना प्रतीत नहीं होता।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि मसीही कब्रिस्तान से सम्बन्धित निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा कर्बला कब्रिस्तान की चहारदिवारी का निर्माण से सम्बन्धित भूमि विवाद का निराकरण कर लिया गया है तथा यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। यह भी अवगत कराया कि समझौता ज्ञापन के अनुसार ससमय कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाएगा।

अतः कब्रिस्तानों में चहारदिवारी का निर्माण योजनान्तर्गत धनराशि रु0 274.43 लाख की 02 योजनाओं का निर्माण कार्य के धीमी प्रगति सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-5- शादी विवाह योजना में धनराशि रू. 9.50 लाख आवंटित होने के उपरान्त भी 19 लाभार्थी का वंचित रहना।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा को निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र सं. 3006/बजट आवंटन/2016-17 दिनांक 22.10.2016 के माध्यम से निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु वर्ष 2016-17 में कुल 9.50 लाख धनराशि आवंटित किया गया था।

कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी में निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु वर्ष 2016-17 में कुल 80 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे जिसमें से 76 आवेदनों का चयन किया गया पर वर्ष के अन्त तक लाभार्थी को भुगतान नहीं किया गया। अभिलेखों की जांच में यह भी देखा गया कि दिनांक 15.06.2017 को चयन संबंधी बैठक कार्यक्रम आयोजित होना था पर कार्यालय द्वारा यह आयोजित नहीं हो पाया। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि धनराशि का आवंटन होने के उपरान्त भी कार्यालय की उदासीनता के कारण 19 लाभार्थी वंचित रह गये। लेखापरीक्षा से पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा आपत्ति को पुष्टि करते हुये बताया गया कि कार्य गतिमान है एवं शीघ्र ही योजना का लाभ लाभार्थियों को भुगतान किया जायेगा।

अतः धनराशि रू. 9.50 लाख आवंटित होने के पश्चात भी 19 लाभार्थियों का वंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रू. 65.94 लाख का अनियमित प्रेषण।

विकलांग पेंशन हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होगे जो बी.पी.एल. श्रेणी के अंतर्गत आता हो। जिसकी मासिक आय रू. 4000/- से अधिक न हो एवं एक परिवार में पति पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पेशन का लाभ मिलेगा एवं महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। पेशन का भुगतान प्रतिमाह रू. 1000/- की दर से त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाता है। निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड के पत्रांक संख्या 5137 दिनांक 29 मार्च 2017 में स्पष्ट प्रावाधान था कि निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार सभी लाभार्थियों को धनराशि आनलाईन भुगतान किया जाना का प्रावधान है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा के वर्ष 2016-17 के विकलांग भरण पोषण से संबंधित अभिलेखो की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में 5119 लाभार्थियों हेतु रू. 860.68 लाख विकलांग पेंशन हेतु अवमुक्त किये गये थे। जांच में पाया गया कि योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में रू. 65.94 लाख निदेशालय के आदेश के विपरीत आफ लाईन वितरण किया गया। जो कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवेहलना है। जबकि उच्चाधिकारी द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश दिये थे कि समस्त धनराशि का भुगतान आन लाईन किया जाये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि आन लाईन खाते खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा धनराशि प्रेषण करने से पूर्व ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि समस्त लाभार्थियों के बेंक खाते सी बी एस हो तत्पश्चात ही धनराशि आहरित किया जाना चाहिए था। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया है।

अतः विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रू. 65.94 लाख का अनियमित प्रेषण करने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2- वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रू. 206.91 लाख के अनियमित भुगतान एवं सत्यापन के अभाव में रू. 37.97 लाख अवरूद्ध रखना।

जनपद के निवास करने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पुरूष अथवा महिला को वृद्धावस्था पेंशन राज्य एवं केन्द्र द्वारा सम्मिलित रूप से समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदान किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय न्यूनतम 4000 से अधिक न हो तथा वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा जिनके 20 वर्ष या इससे अधिक आयु के पत्र की भी आय का कोई साधन न हो। ऐसे पात्र लाभार्थियों को वर्तमान में रू. 1000 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान किया जाता है। पेंशन की राशि का भुगतान त्रैमासिक रूप से अर्थात जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च माह में किया जाता है। उत्तराखण्ड सचिवालय के मुख्य सचिव के अर्दशासकीय प्रत्रांक संख्या 443 दिनांक 16 मार्च 2016 के अनुपालन में स्पष्ट प्रावधान है कि जनपद में संबंधित जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में एवं ग्रामीण में मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में लाभार्थियों के शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराया जाये। निदेशालय के पत्रांक संख्या 5127(03/2017) के अनुसार लाभार्थियों के खाते में आनलाईन धनराशि प्रेषित किया जायेगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा के वर्ष 2014-15 से 2016-17 के वृद्धावस्था अनुदान योजना के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा क्रमशः 3711.56, 3391.92 एवं 4917.79 लाख कुल (रू. 12012.27 लाख) अवमुक्त की गयी थी। जिसके लिए क्रमश 37326, 41329 एवं 47333 (125988) लाभार्थियों के लिए धनराशि अवमुक्त की गयी थी। यह भी पाया गया कि पेंशन योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित कर संचालित बैंक खातें में रखा जाता है। तद्उपरान्त लाभार्थियों को पोष्ट आफिस एवं बैंक में खोले गये खातों में चेक के माध्यम से आफ लाईन भुगतान प्रदान किया था कि जबकि नियमानुसार प्रत्येक लाभार्थी के सी.बी.एस. खाता प्राप्त कर कोषागार से सीधे आन लाईन भुगतान प्रदान किया जाना चाहिए था। जबकि विगत तीन वर्षों में लाभार्थियों को रू. 206.91 लाख की धनराशि आफ लाईन भुगतान की गयी थी। जो कि उच्चाधिकारियों के दिये गये निर्देश की अवहेलना थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि कतिपय पेंशनर्स के बैंक सी.बी.एस. खाते न होने के कारण उक्त पेंशनर्स को पेशन का भुगतान डाकघर/कोपरेटिव बैंकों के माध्यम से आफ लाईन प्रेषित किया गया है। वर्तमान में इन पेंशनर्स के खाते सी.बी.एस. में परिवर्तित कर

आन लाईन भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। अवशेष धनराशि के बारे में पूछे जाने पर इकाई ने कहा की पेशनर्स के त्रुटिपूर्ण खाते होने के कारण रू. 37.97 लाख की धनराशि वापस प्राप्त हुई है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं उच्चाधिकारियों की अवहेलना कर विगत तीन वर्षों में रू. 206.91 लाख के अनियमित रूप से आफ लाईन भुगतान इकाई द्वारा किया गया था एवं सत्यापन के अभाव में रू. 37.97 लाख की धनराशि अवरूद्ध रखा है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-3- गौरादेवी योजना के अंतर्गत 227 लाभार्थियों को रू. 108.25 लाख वितरण न कर लाभ से वंचित रखने एवं धनराशि बैंक में अवरूद्ध रखा जाना।

गौरा देवी कन्याधन योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित जारी शासनादेश सख्याः 749/XVII-4/2016-01(135) 2013- टी. सी–1 (05/16) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृत करने तक की समस्त प्रक्रियाओं को आन लाईन प्रकिया के अनुसार किया जाएगा। गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत लाभ पाने हेतु निम्न पात्रता होनी चहिए':–

(I) शासनादेश के अनुसार योजना हेतु पात्र गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं 21206/–शहरी क्षेत्र में, से अधिक न हो।

(II) योजना का लाभ केवल इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को ही दिया जायेगा एवं व्यक्तिगत छात्रा के सम्बन्ध में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली केवल अविवाहित छात्रा पात्र होगी तथा उसकी उम्र उस शैक्षिक वर्ष के माह की 01 जूलाई को 25 वर्ष से अधिक न हो।

(III) योजनान्तर्गत ऐसी बालिकाऐं पात्र होगी जो राज्य में स्थित केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (शासकीय/अशासकीय) इण्टर कालेजो से कक्षा–12 उत्तीर्ण हो।

(IV) पूर्णकालिन/अंशकालिन रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु पात्र नही होगी।

(V) एक दम्पत्ति की अधिकतम दो पुत्रियों को ही योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

(VI) योजना के अर्न्तगत चयनित प्रति छात्रा रू 50000 की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक अथवा ऐसे शासकीय बैक जो सी बी एस माध्यम से जुडे है में छात्रा के नाम से तीन से पाचॅ वर्ष के अवधि की सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जायेगी तथा जिस पर प्रचलित ब्याज दरो के अनुसार मासिक ब्याज दिया जायेगा। सावधि जमा की समय सीमा समाप्त होने पर बालिका को मूलधन प्रदान किया जाएगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा के अनुसूचित जाति वर्ग के वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया गया था;

वर्ष	पात्र एवं स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या	वास्तविक रुप से भुगतान की गयी लाभार्थियों की संख्या	भुगतान हेतु अवशेष लाभार्थियों की संख्या
2014–15	950	950	00
2015–16	866	866	00
2016–17	886	00	886

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 के 886 पात्र को लाभान्वित किया जाना था। सम्प्रेक्षा अवधि (05/2017) तक 206 बालिकाओं के भुगतान के लिए धनराशि रु0 103.00 लाख उपलब्ध थे जिसे कोषागार

से आहरित कर जनपद स्तर पर संचालित बैंक खाते में रखा गया था। धनराशि के उपलब्ध होने के बावजूद भी कुल 206 बालिकाओं को वर्तमान तक भुगतान नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि वर्ष 2013–14 के 21 पात्र एवं स्वीकृत बालिकाओं को जनपद स्तर पर रू. 5.25 लाख उपलब्ध होने के उपलब्ध होने के बावजूद भी वर्तमान तक भुगतान नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि योजनान्तर्गत समस्त लाभार्थियों के आधार कार्ड प्राप्त न होने के कारण भुगतान नही किया जा सका है। शीध्र ही भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि शासनादेश (09/2009) में स्पष्ट प्रावधान है कि धनराशि विभागीय पी०एल०ए० मे जमा किया जाना चाहिए था। बैक में ऐसी धनराशियॉ सामान्यता नही रखी जानी चाहिए थी।

अतः गौरादेवी योजना के अर्न्तगत 227 लाभार्थियों को रु0 108.25 लाख वितरण न कर वचिंत रखने एवं धनराशि बैक में अवरूद्व रखने का प्रकरण सज्ञांन मे लाया जाता है।

भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
25	2011-12	शून्य	01,02	शून्य
28	2014-15	शून्य	01,02,03	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में इकाई ने अगले उच्च अधिकारी निदेशक, समाज कल्याण को 04/2015 में प्रेषित अनुपालन आख्या की प्रति उपलब्ध करायी जिस पर अगले उच्च अधिकारी की संस्तुति अप्राप्त है। अतः संस्तुति के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा निस्तारण संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकी।				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-**V**

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती चन्द्रा चौहान	जिला समाज कल्याण अधिकारी
2.	मो. असलम	जिला समाज कल्याण अधिकारी
3.	श्री राजीव नयन	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी-1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)